UPFR010026922026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः नीरज कुमार, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 1907
जमानत प्रार्थनापत्र सं०–775/2026

1. धर्मवीर उम्र करीब 49 वर्ष पुत्र मुल्तान सिंह निवासी मोहनपुर दीनारपुर थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद।

2. जावेद अख्तर उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र फिरोज अख्तर निवासी राजेपुर सरायमेदा थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

वाद संख्या–1792/2024
मुकदमा अपराध संख्या–3004/2009
धारा–420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०
थाना–मऊदरवाजा।
जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 16.07.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण–अभियुक्तगण धर्मवीर एवं जावेद अख्तर की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदकगण–अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार अनवर हुसैन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आवेदकगण–अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल है , न लंबित है और न ही निरस्त हुआ है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. अभियोजन का केस है कि वादी आशाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.04.2009 के अनुपालन में थाना मऊदरवाजा पर दिनांक 13.01.2009 को 16.00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अप०सं० 3004/09 अंतर्गत धारा 420,467,468,471 आई.पी.सी. में आवेदगण/ अभियुक्तगण व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत की गयी जिसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरांकित धाराओं के अंतर्गत ही आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक संक्षेप में यह हैं कि वादी ने अभियुक्त रामशंकर से दिनांक 03.10.2005 को उनके ग्राम में स्थित भूमि खसरा संख्या 383 रकवा 1.27 एकड़ से उनके सम्पूर्ण ½ अंश का तहसील सदर फर्रुखाबाद में पंजीकृत विक्रय पत्र संपादित कराया था

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.16 16:47:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा गाटा ख्या 276 कुल रकवा 4.82 एकड़ से उनके ½ अंश में से 80 डिसमिल वादी ने तथा 60 डिसमिल वादी के सगे छोटे भाई अनुज कुमार ने दिनांक 16.04.2008 को तहसील सदर, फर्रुखाबाद में एक ही पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय किया था तथा क्रय शुदा आराजी पर बैनामा के दिन ही विधिवत कब्जा दखल ले कर जुताई बुआई कराकर पैदावार कर रहे थे और संक्रमणीय भूमिधर है। दिनांक 13.10.2009 को उपरोक्त रामशंकर ने पुनः उसी उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 383 रकवा 1.27 एकड़ में अपने ½ अंश का व गाटा संख्या 176 कुल रकवा 4.82 एकड़ में से अपने ½ अंश में से 1.40 एकड़ का पंजीकृत विक्रयपत्र अभियुक्तगण शफाकत हुसेन व मोहम्मद लईक को सम्पादित किया जिसमें बतौर साक्षीगण अभियुक्तगण धर्मवीर व जावेद अख्तर ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण ने यह भली भांति जानते हुए कि उक्त भूमि का का पूर्व में ही विक्रीनामा वादी के पक्ष में हो चुका है फिर भी आपराधिक षडयंत्र रचकर छलकपट से बेईमानीपूर्वक मलिन उद्देश्य से कूटकरण करते फर्जी दस्तावेज तैयार करके विक्रय पत्र पंजीकृत कराया और लाभान्वित हुए। प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी चक्षुदर्शी साक्षी अफजाल अहमद व अब्दुल मलिक को है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा केस डायरी/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिनांक 01.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। वे निर्दोष हैं, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध नहीं बनता है। कथित विक्रय पत्र में पक्षकारान विक्रेता एवं क्रेता की पहचान किये जाने सम्बन्धी हासिया के साक्षीगण हैं। आवेदक/ अभियुक्तगण विलेख सम्पत्ति के लाभार्थी नहीं हैं। प्रश्नगत प्रलेख दिनांक 13.01.2009 से पूर्व का विलेख संख्या 6890 दिनांक 03.10.2005 तथ्य छिपाकर धोखाधड़ी पर प्राप्त विलेख होने का आधार बनाकर अभियुक्त राम शंकर विक्रेता द्वारा आशाराम के विरुद्ध उक्त विक्रय पत्र विलेख संख्या 6890 दिनांक 03.10.2005 के निरस्तीकरण हेतु सिविल वाद संख्या 03/2009 प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार सिविल विवाद होने के कारण आरोप पत्र आधारहीन है। प्रश्नगत विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही सिविल वाद एवं अन्य सिविल वाद संख्या 210/2008 विचाराधीन होने का संज्ञान लेकर भी उक्त अपराध में विवेचना त्रुटिपूर्ण कर आरोपपत्र प्रेषित किया गया। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रकरण में सहअभियुक्त शफकत हुसैन, मो०लईक की जमानत सत्र न्यायालय से हो चुकी है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है, अनुरोध किया कि जमानत पर रिहा किया जाए।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तथ्य रखे गये कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल है। अभियुक्तगण द्वारा छलपूर्वक बेईमानी से

एवं भलीप्रकार से जानकारी होने पर भी सहअभियुक्त द्वारा निष्पादित कराए गए फर्जी बैनामा मे गवाह बनकर क्रेता व विक्रेता की पहचान की गयी है। अभियुक्तगण करीब दस वर्षों से फरार रहे अब उनके द्वारा आत्मसमर्पण कर जमानत की याचना की गयी है इस प्रकार इतने वर्षों से उनके द्वारा न्यायालय की कार्यवाही को बाधित कर अवज्ञा की गयी, अनुरोध किया कि जमानत प्रा०पत्र खण्डित किया जाए।

7. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण/आवेदकगण प्रश्नगत विक्रयपत्र के हासिए के गवाह बताए हैं जैसा कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत विक्रय पत्र की सत्य फोटोप्रति से दर्शित भी होता है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस मामले के सहअभियुक्तगण/क्रेतागण की जमानत पूर्व में दिनांक 06.05.2016 को सत्र न्यायालय से स्वीकृत होने का तथ्य रखा गया है तथा विक्रेता/ अभियुक्त रामशंकर की मृत्यु हो जाना बताया गया है और उक्त रामशंकर के विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 18.07.2022 को उपशमित की जा चुकी है। अभियुक्तगण/आवेदकगण जरिए आत्मसमर्पण दिनांक 01.07.2026 से जिला कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध होना बताए गए है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त/आवेदक धर्मवीर की पूर्व दोषसिद्धि के बावत कोई तथ्य नहीं रखा गया और न ही अभियुक्त/आवेदक जावेद अख्तर के आपराधिक इतिहास के बावत कोई तथ्य रखा गया। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण धर्मवीर एवं जावेद अख्तर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है और आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु० 1,00,000/–(एक लाख रुपये) का निजी बंधपत्र व समान राशि के दो–दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उनको जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–16.07.2026

(**नीरज कुमार**)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सेशन न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।